विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री किरण पाल कश्यप, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
4 (क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि कानपुर नगर निगम, के वार्ड सं0-10 चकेरी के अन्तर्गत वाजिदपुर में आवासीय ई0 डब्ल्यू0एस0 कालोनी में अवैध वाणिज्यिक / औद्योगिक गतिविधियां एवं ट्रक सर्विस स्टेशन चल रहे है और इनसे उत्सर्जित प्रदूषित जल बरसाती नाले द्वारा गंगा नदी को प्रदूषित कर रहा है ?	प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि वार्ड-10 चकेरी के अन्तर्गत वाजिदपुर में आवासीय ई0 डब्ल्यू0एस0 कालोनी में ओम साई सर्विस सेन्टर प्रो0-श्री अभिषेक मिश्रा द्वारा अवैध रूप से ट्रक धुलाई सर्विस सेन्टर संचालित किया जा रहा था। उक्त ट्रक धुलाई सर्विस सेन्टर को तत्काल बन्द करा दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता जोन-2 जलकल विभाग के पत्र दिनांक 06.12.2024 द्वारा भी अवैध सर्विस सेन्टर को बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है अन्यथा की स्थिति में एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। उक्त नाला संजय नगर तिराहा से होते हुए वाजिदपुर गांव की ओर तक जाता है, जो कि वाजिदपुर में नमामि गंगे द्वारा संचालित सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (एस0टी0पी0) में टैप है। परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कानपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.11.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि वाजिदपुर नाले को टैप कर सीवेज को वाजिदपुर पम्पिंग स्टेशन पर प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार उक्त नाले से बहने वाले उत्प्रवाह को एस0टी0पी0 में ट्रीट किया जाता है।
(ख) क्या उक्त प्रकरण पर कानपुर नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जायेगी ?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता है।

(ए.के. शर्मा)
मंत्री,
नगर विकास विभाग।

Scanned with CamScanner